संख्या-386 /2025/181 के-2/22-3-2025-17(333)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 05 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे सिंह उर्फ क्रान्ति पुत्र श्री सुखलाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-4040/प्रो0अनु0(2)-286/2025 (बैठक दिनांक 21-01-2025), दिनांक 30.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे सिंह उर्फ क्रान्ति पुत्र श्री सुखलाल, जो बेटा गंभीरपुर, थाना-घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर हाल पता ए-4, नई बस्ती, दलनपुर, आवास विकास, हंसपुरम, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 17-08-2009 को फिरौती के लिए अभियुक्त ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिवम बाजपेयी (कक्षा-12 का छात्र) का अपहरण किया एवं राज खुलने के डर से चाकुओं से गोदकर शिवम बाजपेयी की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-239/2010, 1596/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए/149, 302/149, 201 व 25 आर्म्स एक्ट में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-09, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त, कानपुर नगर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, पुन: अपराध कर सकने, पुन: अपराध करने में सशक्त होने एवं जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 17-08-2009 को फिरौती के लिए अभियुक्त ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिवम बाजपेयी (कक्षा-12 का छात्र) का अपहरण किया एवं राज खुलने के डर से चाकुओं से गोदकर शिवम बाजपेयी की हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस उपायुक्त, दक्षिण एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में रोष व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तनाव व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त तथा जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुए बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी छोटे सिंह उर्फ क्रान्ति पुत्र श्री सुखलाल को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटे सिंह उर्फ क्रान्ति (बंदी संख्या-28498) पुत्र श्री सुखलाल, निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in